संतोष देवी बनाम गीता आदि
2024 / 42
निर्णय दिनांकः—08.05.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू (चूरू)
(पीठासीन अधिकारी : श्री सुनील कुमार—I आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं.:— 2024 / 41 दर्ज तिथिः— 29.07.2024

1. संतोष देवी पुत्री गिरधारी पत्नी बनवारीलाल माली निवासी रामजस कुएं के पास, वार्ड नं. 31, चूरू (राज.)

................प्रार्थी

बनाम

1. गीता पुत्री गिरधारी पत्नि सुन्दरमल माली निवासी चूरू (राज.) वर्तमान पता जांगिड़ भवन के पास बिसाऊ, झुन्झुनु (राज.)
2. लक्ष्मी पुत्री गिरधारी पत्नि रामोवतार माली, निवासी चूरू (राज.) वर्तमान पता महनसर मोड़, झुन्झुनु बाई पास बिसाऊ, झुन्झुनु (राज.)
3. सरला पुत्री गिरधारी पत्नि प्रहलाद निवासी चूरू (राज.) वर्तमान पता महनसर मोड़, झुन्झुनु बाई पास बिसाऊ, झुन्झुनु (राज.)
4. मन्जू पुत्री दुर्गादत निवासी अगुणा मोहल्ला, वार्ड नं. 43 चूरू तहसील व जिला चूरू (राज.)
5. कविता पुत्री दुर्गादत पत्नि राजकुमार पापटान निवासी कालेरा बास चूरू (राज.)
6. सुशीला पुत्री दुर्गादत पत्नि ताराचन्द निवासी राणी सती मन्दिर के पास, रामगढ़ जिला सीकर (राज.)
7. अमित कुमार पुत्र दुर्गादत निवासी रामजस कुएं के पास, वार्ड नं. 31 चूरू (राज.)
8. डालचन्द पुत्र गोरूराम माली निवासी रामजस कुएं के पास, वार्ड नं. 31 चूरू (राज.)
9. चान्दमल पुत्र गोरूराम निवासी रामजस कुएं के पास, वार्ड नं. 31 चूरू (राज.)
10. नानू पत्नि हुक्मीचन्द माली निवासी शिव कॉलोनी, चूरू (राज.)
11. प्रकाश पुत्र हुक्मीचन्द माली निवासी शिव कॉलोनी, चूरू (राज.)
12. उर्मिला पुत्री हुक्मीचन्द माली निवासी शिवालय के पीछे, शिव कॉलोनी, चूरू (राज.)
13. दामिनी पुत्री हुक्मीचन्द माली निवासी शिवालय के पीछे, शिव कॉलोनी, चूरू (राज.)
14. भानीराम पुत्र किशनाराम माली निवासी ओम कॉलोनी नजदीक रेलवे फाटक चूरू (राज.)
15. शाहिना परवीन पत्नि अली अहमद खान निवासी अगुणा मोहल्ला, चूरू (राज.)
16. सुरेश कुमार कस्वां पुत्र रामलाल कस्वां निवासी गांव बुंटिया तह. व जिला चूरू (राज.)
17. शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैं[illegible] (राज.)
18. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ इण्डिया शाखा चूरू (राज.)
19. उप पंजीयक चूरू (राज.)
20. राजस्थान सरकार जरिये तहसी[illegible] चूरू (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:03 IST
Reason: SelfAttested

.................अप्रार्थीगण

संतोष देवी बनाम गीता आदि
2024 / 42
निर्णय दिनांकः—08.05.2026

उपस्थित अधिवक्ता
प्रार्थीः— श्री रघुननन्दन सोनी
अप्रार्थी सं. 1, 2ः— श्री हनुमान प्रसाद स्वामी
अप्रार्थी सं. 3ः—श्री सुनिल डेरूवाल
अप्रार्थी सं. 8 व 9ः—श्री कपिल महर्षि
अप्रार्थी सं. 14ः—श्री धन्नाराम सैनी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 212
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

निर्णय

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय किये जाने वास्ते पेश हुई है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि यह प्रार्थना—पत्र प्रार्थीनी संतोष देवी द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध खसरा संख्या 641, 644, 645, 646 व 647, कुल रकबा 25.5964 हैक्टेयर, स्थित रोही चूरू के संबंध में इस आशय से प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादीगण को बिना विधिक विभाजन उक्त संयुक्त खातेदारी भूमि का विक्रय, रहन अथवा हस्तांतरण करने से रोका जावे। पत्रावली पर न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 29.07.2024 को उभय पक्षकारान को मौका एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु अन्तरिम स्थगन आदेश जारी किया गया था।

2. प्रार्थना—पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 की ओर से अधिवक्ता श्री हनुमान प्रसाद स्वामी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सुनिल डेरूवाल ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 8 ता 9 की ओर से अधिवक्ता श्री कपिल महर्षि ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 14 की ओर से अधिवक्ता श्री धन्नाराम सैनी ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थी संख्या 3 ता 7 व 10 ता 13 व 15 ता 18 को विधिवत तामील होने के उपरान्त भी उनके द्वारा उपस्थित होकर जवाब/हाजिरी प्रस्तुत नहीं की गई, अतः उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। अप्रार्थी संख्या 20 भूमिधारी हैं। अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 की ओर निम्नानुसार जवाब प्रार्थना—पत्र पेश किया गयाः—

    1. अप्रार्थी संख्या 1 ता 3 (गीता देवी आदि) के जवाब में मुख्य रूप से यह अंकित किया है कि उनके पिता स्वर्गीय गिरधारीलाल ने अपने जीवनकाल में ही अपनी चारों पुत्रियों के मध्य वादगत भूमि का सामाजिक समझौते के अनुसार आपसी बंटवारा कर दिया था वे अपने आवंटित हिस्सों पर काफी वर्षों से काबिज हैं, वहां रात—दिन निवास करते हैं, तारबंदी व कांटों की बाड़ कर रखी है और खाद डालकर भूमि को उपजाऊ बनाया है । जवाब में यह स्पष्ट अंकन है कि प्रार्थीनी संतोष देवी ने कभी भी अपने हिस्से की सार—संभाल या काश्त नहीं की, जिससे उसकी भूमि[illegible] अप्रार्थी संख्या 8 व 9 के साथ साज—बाज कर यह झूठा प्रार्थना—पत्र म[illegible] किया है । अतः प्रार्थीया का प्रार्थना—पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।
    2. अप्रार्थी संख्या 14 (भानीराम) [illegible] यह अंकित किया है कि प्रार्थीनी एवं अप्रार्थी संख्या 1 से 7 का वादगत भूमि पर कभी [illegible]तिक कब्जा नहीं रहा है और वह स्वयं 30 वर्षों से अधिक समय से इस भूमि को काश्त कर रहा है । प्रार्थीनी व अन्य पक्षकार बिना बंटवारे के अजनबी क्रेताओं को भूमि विक्रय कर उसे गुमराह कर रहे हैं, ताकि भविष्य

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:03 IST
Reason: SelfAttested

में बाहुबल के जरिये जबरन कब्जा किया जा सके । प्रार्थीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 ने आपस में कॉलयूजन करके गलत रूप से यह प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया है । अतः प्रार्थना—पत्र मय काउण्टर टी.आई. प्रस्तुत कर निवेदन है कि काउण्टर टी.आई. बहक अप्रार्थी संख्या 14 के खिलाफ प्रार्थीनी व अन्य पक्षकारान के विरूद्ध स्वीकार फरमायी जावे।

3. अप्रार्थी संख्या 08 व 09 (डालचन्द, चान्दमल) के जवाब के मुख्य अंकन काउण्टर टी.आई. की मांग इन्होंने अपने जवाब के साथ काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना—पत्र भी पेश किया है । वे संयुक्त खातेदारी के विभाजन हेतु कभी मना नहीं करते और प्रतिदावा के माध्यम से अपना हिस्सा पृथक करवाना चाहते हैं । बिना रिकॉर्डेड खाता विभाजन के किसी भी सह—खातेदार को भूमि विक्रय या अन्तरण करने से रोका जावे ।

3. जवाब प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत होने पर पत्रावली में सीधे बहस में नियत की गई।

1. प्रार्थीनी के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीनी इस संयुक्त खातेदारी भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार है और मद संख्या 4 के अनुसार वह मौके पर नीव—सीव डालकर अपने हिस्से पर काबिज व काश्त कर रही है । अधिवक्ता ने विधिक दलील दी कि संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सह—खातेदार 'इंच—इंच' का हिस्सेदार होता है और बिना विधिक विभाजन के किसी भी विशिष्ट भाग का अजनबी व्यक्ति को हस्तांतरण नहीं किया जा सकता । अप्रार्थी संख्या 1 से 3 द्वारा दौराने दावा भूमि विक्रय करने के प्रयास से प्रार्थीनी का कब्जा प्रभावित होगा । अतः निवेदन है कि वाद के अंतिम निर्णय तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने एवं भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगाने का आदेश पारित किया जाए।

2. अप्रार्थी सं. 1 व 2 के अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि प्रार्थीनी ने प्रार्थना—पत्र के मद संख्या 4 में कोई ठोस 'वाद कारण' स्पष्ट नहीं किया है । उन्होंने तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को अपने हिस्से की भूमि विक्रय करने का पूर्ण विधिक अधिकार है और इसमें प्रार्थीनी को कोई विधिक आपत्ति नहीं होनी चाहिए । अधिवक्ता ने यह भी दलील दी कि यदि स्टे जारी रहता है, तो अप्रार्थीगण को किसान क्रेडिट कार्ड ऋण लेने, भूमि सुधार करने व अन्य राजकार्य करवाने में भारी बाधा उत्पन्न होगी, जिससे उनके मौलिक हित बिना किसी ठोस कारण के प्रभावित होंगे। अतः वह निषेधाज्ञा प्राप्त करने की विधिक अधिकारिणी नहीं है।

4. यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रार्थना की गई है कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा संख्या 641, 644, 645, 646 व 647, कुल रकबा 25.5964 हैक्टेयर, स्थित रोही चूरू, तहसील चूरू के संबंध में यथास्थिति बनाए रखने एवं किसी प्रकार के हस्तांतरण/रहन/विक्रय पर रोक लगाई जाए।

5. न्यायालय द्वारा पत्रावली एवं उभय पक्षकारान की बहस का परिशीलन किया गया। प्रार्थीनी ने अपने प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 4 में स्वयं यह विधिक अंकन किया है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण अपने—अपने हिस्से पर नीव सीव डालकर काबिज व काश्त कर रहे हैं। यह अंकन प्रमाणित करता है कि पक्षकारों के मध्य मौखिक विभाजन के अनुसार मौके पर पृथक—पृथक कब्जा काश्त विद्यमान है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:03 IST
Reason: SelfAttested

- प्रथम दृष्टया मामला एवं कब्जे की स्थिति प्रार्थी संतोष देवी ने अपने प्रार्थना—पत्र की मद संख्या 4 में स्वयं यह विधिक अंकन किया है कि प्रार्थीनी व अप्रार्थीगण मौके पर अपने—अपने हिस्से पर नीव—सीव (सीमांकन) डालकर काबिज व काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीनी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि सह—खातेदार 'इंच—इंच' का हिस्सेदार होता है, विधिक रूप से सही है, किन्तु जब पक्षकार स्वयं यह स्वीकार करता है कि मौके पर पृथक—पृथक कब्जे की स्थिति विद्यमान है, तो ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड की संयुक्त प्रविष्टि के

आधार पर निषेधाज्ञा जारी करना न्यायसंगत नहीं रह जाता। स्थापित विधिक सिद्धांतों के अनुसार, निषेधाज्ञा एक विवेकपूर्ण और न्यायोचित अनुतोष है, जो केवल उसी पक्षकार को प्राप्त हो सकता है जिसका भूमि पर प्रभावी भौतिक कब्जा हो। प्रार्थीनी द्वारा स्वयं के पृथक कब्जे की स्वीकारोक्ति अप्रार्थीगण के कब्जे की पुष्टि करती है, जिससे प्रार्थीनी के पक्ष में कोई 'प्रथम दृष्टया मामला' प्रमाणित नहीं होता।

- सुविधा का संतुलनः अप्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने यह महत्वपूर्ण तर्क प्रस्तुत किया है कि वादग्रस्त भूमि पर स्टे प्रभावी रहने की स्थिति में उन्हें किसान क्रेडिट कार्ड ऋण प्राप्त करने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने तथा भूमि पर आवश्यक कृषि सुधार करने में गंभीर बाधा उत्पन्न हो रही है। बिना किसी ठोस विधिक आधार के सह—खातेदारों को उनके विधिक अधिकारों के उपभोग से वंचित करना 'सुविधा के संतुलन' के सिद्धांत के विपरीत है। चूंकि प्रार्थीनी ने स्वयं स्वीकार किया है कि पक्षकार अपने—अपने हिस्सों पर काबिज हैं, अतः अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर राजकार्य एवं वित्तीय प्रबंधन से रोकना उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- अपूर्णीय क्षति : प्रार्थना—पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए प्रार्थी ने ऐसा कोई ठोस कारण उल्लेख नहीं किया गया है। जिससे प्रार्थिया को अपूर्णीय क्षति हो। अप्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि पर राजकार्य एवं वित्तीय प्रबंधन से रोकना उनके हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- काउण्टर टी.आई. : काउण्टर अस्थाई निषेधाज्ञा जैसा प्रावधान प्रासंगिक कानूनों में उपलब्ध नहीं होने के कारण विचारणीय नहीं है।

6. अतः इस संबंध में प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति स्थापित नहीं होता है। उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर न्यायालय निम्न आदेश पारित करता हैः—

आदेश है कि

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा—212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, उपर्युक्त कारणों के आधार पर खारिज किया जाता है।

यह आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 08.05.2026 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहर युक्त जारी किया गया।

(सुनील कुमार—I)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

Signature Not Verified

Digitally signed by Sunil Kumar
Date: 2026.05.14 13:34:03 IST
Reason: SelfAttested